

AJIT SETH



मंत्रिमंडल सचिव
CABINET SECRETARY
NEW DELHI

संदेश

जैसा कि सभी को विदित है, 14 सितम्बर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा के प्रति सम्मान एवं सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ाते रहने के संकल्प के तौर पर हम हर साल 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाते आ रहे हैं।


यह अत्यंत खुशी और उत्साह की बात है कि विगत वर्षों में हिंदी ने देश की सबसे संभावनाशील संपर्क-भाषा के तौर पर जन-साधारण की भावनात्मक स्वीकृति पाई है। ऐसा मुख्यतः इसलिए सम्भव हो सका है क्योंकि देश की सभी कम या ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं एवं बोलियों को समान आदर देते हुए हिंदी ने उनसे आत्मिक संबंध बनाया है और राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यद्यपि हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में लगातार व्यापक स्वीकृति मिल रही है तथापि अभी और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मेरा अनुभव है कि हिंदी में काम करना बहुत ही सरल है, विशेषकर यदि इसका प्रयोग मूल लेखन में किया जाए ताकि अनुवाद यथासंभव कम से कम किए जाने की आवश्यकता पड़े। कार्यालयों में हम टिप्पणियों तथा पत्रादि के मसौदों में, जहां तक हो सके, आसानी से समझ में आने लायक शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। बैठकों, चर्चाओं आदि में हिंदी में बातचीत किए जाने को बढ़ावा देने से हिंदी का आधिकारिक आधार और व्यापक एवं मजबूत होगा। अधिकारी स्वयं हिंदी को अपनाकर अपने मातहतों के लिए एक मिसाल पेश कर सकते हैं।

आइये, आज एक बार फिर हम अपना संकल्प दुहराएं और इस दिशा में अपनी उपलब्धियों और प्रयासों की समीक्षा करें।

हिंदी दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

14 सितंबर, 2011


(अजित सेठ)